

11/3/24

पत्रावली पेश। वादीया व वादीया<sup>12</sup> वकील अनु-।  
वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री भाववती  
प्रसाद बालोट उप.। वकील वादीया को रुक-रुक  
कर रुई खाट आवाजे दिलाई गई। मोड़  
हाजिर नहीं था। न्यायालय को समय 4:30 हो  
चका है। अतः वादीया का वाद उदय



हाजरी व अदम पैरवी से खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के लाल श्रुति होकर दाखिल दफ्तार हो  
रहा मन्बल से मस हो।

५५१  
कालिदास कलेक्टर, सांचीर  
(कालिदास कलेक्टर, सांचीर)